

# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर, (छ0ग0)

आदेश

क्रमांक/रीडर-जि0दण्डा/1566/2020

बिलासपुर, दिनांक-29.03.2020

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/रीडर-जि0दण्डा0/1537/2020 बिलासपुर दिनांक- 24.03.2020 माध्यम से जिला बिलासपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया है तथा उक्त आदेश की कंडिका-स में उल्लेखित संस्थानों/दुकानों के संदर्भ में आदेश क्रमांक/रीडर-जि0दण्डा0/1528/2020 बिलासपुर दिनांक- 24.03.2020 जारी किया गया है, जिसकी कंडिका-स (18) में पशु चारा की दुकान शामिल है। समसंख्यक आदेश दिनांक- 26.03.2020 एवं परिशोधित आदेश क्रमांक/रीडर-जि0दण्डा/2220/2020 बिलासपुर दिनांक- 27.03.3030 के द्वारा दुकानों को खुलने तथा बंद होने का समय निर्धारित किया गया है। उक्त आदेश के अनुक्रमांक-01 में उल्लेखित- सभी मंडियां, दुकान व ठेले (सब्जी, फल, अनाज, चिकन, मटन, मछली) खुलने एवं बंद होने का निर्धारित समय सुबह 07 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक की अवधि की इन दुकानों में पशु चारा (चौपाया पालतू पशु तथा मछली हेतु) की दुकान शामिल है, जिसके फलस्वरूप पशु चारे के विक्रय की दुकानें सुबह 07 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक खोली जा सकती है।

(डॉ० सजय अलंग)  
जिला दण्डाधिकारी  
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,  
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)  
बिलासपुर (छ0ग0)

क्रमांक/रीडर-जि0दण्डा/1566A/2020

बिलासपुर, दिनांक-29.03.2020

प्रतिलिपि-

- 1- आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 2- पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 3- पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर,
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बिलासपुर
- 5- आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर,
- 6- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बिलासपुर,
- 7- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं दण्डाधिकारी, तथा Incident Commander बिलासपुर/कोटा/बिल्हा एवं मस्तुरी जिला- बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 8- उप संचालक, सूचना प्रकाशन, बिलासपुर को प्रकाशनार्थ अग्रेषित।



कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,  
बिलासपुर (छ0ग0)  
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)